<u>प्रतिवेद्य</u>

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

दीवानी अपील संख्या 4840/2021

से उत्पन्न

विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 18198/2018

नीलिमा श्रीवास्तव अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य प्रतिवादी (गण)

<u>नि र्ण य</u>

<u>माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी</u>

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ (बाद में 'उच्च न्यायालय' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित निर्णय और आदेश का अपवाद है, जो राज्य–प्रतिवादी द्वारा दायर विशेष अपील की अनुमति देता है और दिनांक 15.05.2014 के निर्णय और आदेश को अपास्त करता है।

3. अपीलकर्ता कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर है और प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर और सीनियर डिप्लोमा का प्रमाण पत्र भी रखता है। 23. 07. 1984 को, उन्हें अवकाश रिक्ति पर सरकारी इंटर कॉलेज, महमूदाबाद, जिला सीतापुर में सहायक संगीत शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था क्योंकि नियमित पदाधिकारी अवैतनिक अवकाश पर चले गए थे। नियुक्ति आदेश की शर्तों ने निर्दिष्ट किया कि नियुक्ति अस्थायी थी और स्थायी पदाधिकारी से सेवा में शामिल होने तक यह वैद्य थी। अपीलार्थी की शैक्षिक योग्यता ने संबंधित सेवा नियमों की निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा किया। दिनांकित 16.05.1986 के पत्र द्वारा, दिनांक 23.07.1984 को नियुक्ति आदेश की शर्तों को संशोधित करके यह प्रकाशित किया गया था कि नियुक्ति तब तक के लिए थी जब तक कि नियमित कर्मचारी वापस नहीं आ जाते या 20.05.1986 तक, जो भी पहले हो।

4. नियुक्ति के संदर्भ में उक्त संशोधन से दुखी होकर , अपीलकर्ता ने नियुक्ति की संशोधित शर्तों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 3316/1986 (एसएस) दायर की। 19. 05. 1986 को, कॉलेज के प्रबंधन ने अपीलकर्ता को 20.05.1986 के प्रभाव से सेवाओं के विस्तार के साथ एक और आदेश जारी किया।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

5. विद्वत एकल न्यायाधीश ने 20.05.1986 के आदेश के द्वारा प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करते हुए नियुक्ति आदेश की शर्तों को संशोधित करते हुए 16.05.1986 के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी। यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि अंतरिम आदेश स्थायी पदाधिकारी श्रीमती सफिया खातून की वापसी पर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ।

6. ऐसा हुआ कि श्रीमती सफिया खातून फिर से सेवा में शामिल नहीं हुईं , परिणामस्वरूप उनकी सेवाओं को 16.01.1988 के आदेश के अनुसार समाप्त कर दिया गया। यह निर्विवाद तथ्य है कि प्रत्यर्थियों ने कभी भी पद भरने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और अपीलकर्ता को 2020 तक बिना किसी रुकावट के उक्त पद पर जारी रखा गया।

7. 17. 08. 2001 को, उत्तर प्रदेश राज्य ने यूपी माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक नियम, 2001 (संक्षेप में 'नियमितीकरण नियम, 2001' के रूप में जाना जाता है) के पद पर तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण की घोषणा की। 02. 11. 2001 को, अपीलकर्ता ने उक्त नियमों के अनुसार नियमितीकरण का अभ्यावेदन उक्त अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया। जब पर्याप्त समय बीत जाने के बाद उनके अभ्यावेदन में कोई कार्यवाई नहीं की तो उनके द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 7890/2003 को दाखिल किया। अपीलार्थी की इस रिट याचिका को उनकी पूर्व रिट याचिका संख्या 3316/1986 के साथ जोड दिया गया और उच्च न्यायालय की विद्वत एकल न्यायाधीश के साथ निम्नलिखित अवलोकन के साथ सुना और निस्तारण किया गया था।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

"पक्षकारों के विद्वत अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के पास सरकारी इंटर कॉलेज, महमूदाबाद, सीतापुर में सहायक शिक्षक संगीत, एलटी ग्रेड के रूप में काम करने का 21 से अधिक वर्षों का अनुभव है।अभिलेख पर उपस्थित दस्तावेजों के अनुसार, उसके पास इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम में आवश्यक सभी शैक्षणिक योग्यता है। उसे छुट्टी की व्यवस्था में नियुक्त किया गया हो सकता है, लेकिन उसकी निरंतर संतोषजनक सेवाओं के आधार पर, उसने अब पद धारण करने और संस्था में जारी रखने का अधिकार प्राप्त कर लिया है, और इस स्तर पर, उसे कर्मचारी के अनुपस्थिती के दौरान उक व्यवस्था के तहत एक नियुक्ति के रूप में मानना उचित नहीं होगा। '

8. पूर्वोक्त निर्णय का आवश्यक भाग निम्नानुसार हैः

उपरोक्त के मद्देनजर, रिट याचिकाओं की अनुमति है।परिणाम का पालन करना होगा।याचिकाकर्ता को उसके द्वारा जारी रखे गए पद पर बने रहने की अनुमति दी जाएगी।उसके मामले को प्रासंगिक नियमितीकरण नियमों के तहत नियमितीकरण के लिए माना जाएगा और निर्णय और आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने के भीतर उचित आदेश पारित किए जाएं। '

9. इस स्तर पर यह बताना उचित है कि अपीलकर्ता द्वारा दायर दो रिट याचिकाओं में दिए गए पूर्वोक्त सामान्य निर्णय को अंतिम रूप दिया गया क्योंकि इसे किसी भी उच्च मंच के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी।

10. 29. 01. 2007 के आदेश के अनुसार, संयुक्त शिक्षा निदेशक ने याचिकाकर्ता (यहां अपीलकर्ता) के मामले पर विचार किया और विद्वत एकल न्यायाधीश के फैसले में निहित टिप्पणियों के बावजूद नियमितीकरण के लिए उसके दावे को खारिज कर दिया। नियमितीकरण के लिए उनके दावे को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि चूंकि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति अवकाश रिक्ति पर थी, जिसके

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

लिए 2001 के नियमों के तहत कोई प्रावधान नहीं था, जैसे कि उन्हें नियमितीकरण नियम, 2001 द्वारा प्रदत्त लाभ का हकदार नहीं ठहराया जा सकता है।

11. इस आदेश को अपीलकर्ता द्वारा एक और रिट याचिका संख्या– 8597/2010 दायर करके फिर से चुनौती दी गई थी। पक्षकारों के विद्वत अधिवक्ता को सुनने के बाद, विद्वत एकल न्यायाधीश ने 15.05.2014 के निर्णय और आदेश को निम्नलिखित कारणों से अनुमति दीः

> i – याचिकाकर्ता 23.07.1984 से काम कर रहा है और मुकदमेबाजी के पहले दौर में, उच्च न्यायालय ने उसे पद धारण करने का हकदार ठहराया था।दिनांक 23.01.2006 का निर्णय अंतिम हो गया था और इसे चुनौती नहीं दी गई थी।
>
> ii. – नियमितीकरण नियम, 2001 याचिकाकर्ता पर लागू थे।पहले के फैसले में याचिकाकर्ता को पद धारण करने का हकदार पाया गया था।नियमितीकरण नियम, 2001 को लागू करने से प्रत्यर्थियों का इनकार तदनुसार गैरकानूनी था।
>
> iii. लंबे समय से चल रहे मुकदमेबाजी को समाप्त करने की आवश्यकता है और याचिकाकर्ता नियमितीकरण का हकदार है।

12. विद्वत एकल न्यायाधीश ने ***रुद्र कुमार सेन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य***[1] के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले में अवलंब रखा और विशेष रूप से उक्त संविधान पीठ के फैसले के पैरा 20 में किए गए अवलोकन अवधारित किया जो निम्नलिखित है –

> सेवा न्यायशास्त्र में, एक व्यक्ति जो किसी विशेष पद पर नियुक्त होने के लिए अपेक्षित योग्यता रखता है और फिर उसे उचित प्राधिकारी के अनुमोदन और परामर्श के साथ नियुक्त किया जाता है और काफी लंबी अवधि के लिए पद पर

1 (2000) 8 एससीसी 25

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जारी रहता है, तो ऐसी नियुक्ति को 'कर्मचारियों की अनुपस्थिति में या भाग्यशाली या विशुद्ध रूप से तदर्थ' नहीं ठहराया जा सकता है।

13. विद्वत एकल न्यायाधीश ने पाया कि अपीलकर्ता 23.07.1984 से पढ़ाता आ रहा है और पूर्व के फैसले में, उच्च न्यायालय ने पहले ही उसकी नियुक्ति को कर्मचारियों की अनुपस्थित में नियुक्ती की व्यवस्था नहीं माना है और आगे उसे उस पद का अधिकार है जिसे नियमितीकरण नियम, 2001 के तहत चुनौती नहीं दी गई है जो ऐसे मामलों पर लागू होते हैं और उक्त नियमों का लाभ देने से इनकार करना संयुक्त निदेशक द्वारा शक्ति का वैध प्रयोग नहीं है और चूंकि कोई नियमित नियुक्ति नहीं की गई है, इसलिए वह पूरी तरह से योग्य है और इस तरह नियुक्त होने के लिए योग्य है।

14. 31. 10. 2015 के आदेश के अनुसार, 15.05.2014 को विद्वत एकल न्यायाधीश के निर्णय के संदर्भ में, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता की सेवाओं को नियमित किया और साथ ही एक खण्ड पीठ के समक्ष एक विशेष अपील भी दायर की।

15. दिनांक 07.05.2018 के आदेश के अनुसार, इस अपील में आक्षेपित खण्ड पीठ ने उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई विशेष अपील की अनुमति दी और विद्वत एकल न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त कर दिया।डिवीजन बेंच का विचार था कि चूंकि अपीलकर्ता को 23.07.1984 को अवकाश रिक्ति में नियुक्त किया गया था और उसकी सेवाएं 20.05.1986 को समाप्त हो गईं और वह 6 उच्च द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आधार पर पद पर बनी रही। मुकदमेबाजी के पहले दौर में न्यायालय और उसकी नियुक्ति मुकदमेबाजी की नियुक्ति है और इस प्रकार उसे इस पद को कानूनी रूप से अपने पक्ष में रखने का कोई अधिकार नहीं है।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

16. अपीलार्थी के लिए विद्वत अधिवक्ता श्री निखिल गोयल और राज्य–प्रत्यर्थी के लिए विद्वत अधिवक्ता श्री हरीश पांडे को सुना। हमने पक्षकारों के विद्वत अधिवक्ताओं के द्वारा अभिलेख पर उपस्थित आक्षेपित निर्णय को अवधारित किया है।

17. राज्य द्वारा दायर विशेष अपील को उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने मुख्य रूप से इस तर्क पर अनुमति दी थी कि याचिकाकर्ता (यहां अपीलकर्ता) को अवकाश रिक्ति के खिलाफ अस्थायी आधार पर नियोजित किया गया था और चूंकि सेवा नियमावली, 1983 ने अवकाश रिक्ति पर किसी भी नियुक्ति की अनुमति नहीं देता था, इसलिए याचिकाकर्ता (यहां अपीलकर्ता) की नियुक्ति 'स्टॉप–गैप प्रकृति' की अवैध नियुक्ति थी। नियमितीकरण नियम, 2001 का विश्लेषण करते हुए खण्ड पीठ ने पाया कि अवकाश रिक्ति के तहत की गई नियुक्ति को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं था।

18. सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी और अन्य[2] के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर अवलंब लेते हुए, जिसमें यह माना गया था कि चूंकि याचिकाकर्ता (यहां अपीलकर्ता) की प्रारंभिक नियुक्ति नियमों की अवहेलना की गई थी और इस प्रकार यह अवैध थी और उसकी नियुक्ति मुकदमेबाजी के तहत की नियुक्ति थी और वह 20.05.1986 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश के बल पर जारी रही, वह नियमितीकरण की हकदार नहीं थी।

19. उमादेवी (3) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने माना है कि एक अस्थायी, संविदात्मक, आकस्मिक या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को तब तक स्थायी करने का कानूनी अधिकार नहीं है जब तक कि नियुक्ति उक्त नियुक्ति को

---

2 (2006) 4 एससीसी 1

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक सेवा नियमों की शर्तों के अनुसार और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के पालन में नहीं की गई हो। हालाँकि इस न्यायालय ने रिपोर्ट के पैरा 53 में निम्नानुसार निरीक्षण करके उपरोक्त के लिए एक अपवाद बनाया थाः

> 53. एक पहलू को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां अनियमित नियुक्ति (अवैध नियुक्ति नही) का उल्लेख किया गया हो जैसे एसवी नारायणप्पा [(1967) 1 एससीआर 128: एआईआर 1967 एससी 1071], आरएन नानजुंदप्पा [(1972) 1 एससीसी 409: (1972) 2 एससीआर 799] और बीएन नागराजन [(1979) 4 एससीसी 507:1980 एससीसी (एल एंड एस) 4: (1979) 3 एससीआर 937] और उपरोक्त के पैरा 15 में संदर्भित, विधिवत स्वीकृत रिक्त पदों में विधिवत योग्य व्यक्तियों को बनाया जा सकता है और लेकिन अदालतों या न्यायाधिकरणों के आदेशों के हस्तक्षेप के बिना कर्मचारियों ने दस साल या उससे अधिक समय तक काम करना जारी रखा है इस तरह के कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण के सवाल पर इस न्यायालय द्वारा उल्लिखित मामलों में और इस निर्णय के आलोक में तय किए गए सिद्धांतों के आलोक में योग्यता पर विचार किया जा सकता है। उस संदर्भ में, भारत संघ, राज्य सरकारों और उनके कर्मचारियों को एक बार के मानक के रूप में नियमित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, ऐसी अनियमित रूप से नियुक्त की गई सेवाएं, जिन्होंने विधिवत स्वीकृत पदों पर दस साल या उससे अधिक समय तक काम किया है, लेकिन अदालतों या न्यायाधिकरणों के आदेश के कवर के तहत नहीं है और आगे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन रिक्त स्वीकृत पदों को भरने के लिए नियमित भर्तियां की जायें, जिन्हें भरने की आवश्यकता है, ऐसे मामलों में जहां अस्थायी कर्मचारी या दैनिक कर्मचारी अब कार्यरत हैं। इस तिथि से छह महीने के भीतर प्रक्रिया के कार्यान्वयन में तेजी आ जाना चाहिए। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि नियमितीकरण, यदि कोई पहले ही किया जा चुका है, लेकिन वर्तमान में विचाराधीन नहीं है, तो इस निर्णय के आधार को पुनः से खोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे संवैधानिक आवश्यकता को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए और जिन्हें संवैधानिक योजना के अनुसार विधिवत नियुक्त नहीं किया गया है, उन्हें नियमित या स्थायी नहीं किया जाना चाहिए। ”

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

20. उमादेवी (3) के वाद से सन्दर्भित उद्धृत पैराग्राफ 53 में मामले में 'नियमितीकरण' के लिए सामान्य सिद्धांतों के अपवाद को उल्लखित किया गया है, जिसे निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैंः

i. अवलंबी को किसी न्यायाधिकरण या अधिकरण के अंतरिम आदेश के लाभ या संरक्षण के बिना विधिवत स्वीकृत पद पर 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक काम करना चाहिए था।

ii. ऐसे कर्मचारी की नियुक्ति अवैध नहीं होनी चाहिए, भले ही अनियमित हो।

21. उमादेवी (3) के फैसले में निर्धारित उपरोक्त परीक्षणों को लागू करते हुए , 'नियमितीकरण' के खिलाफ सामान्य सिद्धांतों के अपवाद को उल्लेखित करते हुए, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने माना है कि चूंकि अपीलकर्ता की नियुक्ति नियमों की अवहेलना थी और सार्वजनिक प्रतिस्पर्धात्मक चयन की प्रक्रिया से गुजरने के बिना, क्योंकि यह अवैध है और चूंकि वह उच्च न्यायालय के विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के तहत सेवा में बनी रही, इसलिए उसकी नियुक्ति मुकदमेबाजी के तहत है और इस प्रकार अपवाद उमादेवी (3) के मामले द्वारा कवर नहीं किया जाता है।

22. उमादेवी (3) पैराग्राफ 53 के मामले में की गई टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए, ऊपर उद्धृत किया गया है, इस न्यायालय ने ***कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम एमएल केसरी और अन्य*** [3] के मामले में परीक्षण करने के लिए यह शर्तें रखी हैं कि नियुक्ति को कब अवैध माना जाएगा और जब इसे अनियमित माना जाएगा। उक्त रिपोर्ट से पैरा 7 निकालना प्रासंगिक हो सकता है, जो निम्नानुसार हैः

---

3 (2010) 9 एससीसी 247

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

"उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उमादेवी में वर्णित 'नियमितीकरण' के खिलाफ सामान्य सिद्धांतों का अपवाद है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:

(i) संबंधित कर्मचारी को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल के अंतरिम लाभ या संरक्षण के बिना विधिवत स्वीकृत पद पर 10 साल या उससे अधिक समय तक काम करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, राज्य सरकार या इसके कार्यकारी तंत्र के द्वारा कर्मचारी को नियोजित करना चाहिए और उसे स्वेच्छा से और लगातार दस वर्षों से अधिक समय तक सेवा को जारी रखना चाहिए।

(ii) ऐसे कर्मचारी की नियुक्ति अवैध नहीं होनी चाहिए, भले ही अनियमित हो। जहां नियुक्तियां स्वीकृत पदों के विरुद्ध नहीं की जाती हैं या जारी नहीं रखी जाती हैं या जहां नियुक्त किए गए व्यक्तियों के पास निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है, नियुक्तियों को अवैध माना जाएगा। लेकिन जहां नियोजित व्यक्ति के पास निर्धारित योग्यताएं थीं और स्वीकृत पदों के तहत काम कर रहे थे, लेकिन सार्वजनिक प्रतिस्पर्धी चयन की प्रक्रिया से गुजरने के बिना उनका चयन किया गया था, ऐसी नियुक्तियों को अनियमित माना जाता है। "

23. अपीलकर्ता के मामले में, यह निर्विवाद है कि उसे गर्ल्स स्कूलों के क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया था, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शैक्षिक (प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड) सेवा नियमावली, 1983 के तहत निर्धारित नियुक्ति प्राधिकारी है। समान रूप से निर्विवाद तथ्य यह है कि उसे एक स्वीकृत पद पर नियुक्त किया गया था और उसके पास 1983, नियमों के तहत सभी आवश्यक निर्धारित योग्यताएं थीं।

24. कर्नाटक और अन्य राज्य बनाम एमएल केसरी और अन्य में निर्धारित परीक्षणों को लागू करने पर उपरोक्त अपीलकर्ता की नियुक्ति को केवल अनियमित और अवैध नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी की नियुक्ति अवैध होने की प्रकृति के संबंध में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा दर्ज किये गये निष्कर्ष पर इस प्रकार कायम रहने के लिए उत्तरदायी नहीं है।उसकी नियुक्ति के आधार पर नियमितीकरण के दावे

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

को अस्वीकार कर दिया गया है, जो कि आक्षेपित आदेश से अवैध है।10 साल या उससे अधिक समय तक काम करने की अन्य शर्त भी पूरी तरह से संतुष्ट है क्योंकि उसके नियमितीकरण के विचार के समय अपीलकर्ता ने लगभग 23 साल की सेवा पूरी कर ली थी।

25. एकमात्र प्रश्न जिस पर अब विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के तहत उस पद पर उसकी निरंतरता उसे उमादेवी (3) के मामले में तथ्यों के मद्देनजर नियमितीकरण से वंचित करेगी।

26. अपीलकर्ता द्वारा उसकी नियुक्ति के संदर्भ में संशोधन को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका संख्या 3316/1986 (एसएस) को उच्च न्यायालय के समक्ष इस रिट याचिका की लंम्बन के दौरान दिनांक 20.05.1986 के आदेश के तहत रोक लगा दी गई थी। उसने नियमितीकरण के अपने दावे को खारिज करते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका संख्या– 7890/2003 को दायर करके फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दो लंबित रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालय के द्वारा जोड़ा दिया गया था और जिनको 23.01.2006 के सामान्य निर्णय और आदेश के तहत इस निष्कर्ष के साथ निस्तारण किया कि अपीलकर्ता के पास सभी अपेक्षित योग्यता है और उसने 21 साल तक काम किया है और भले ही उन्हें अवकाश रिक्ति के तहत नियुक्त किया गया है लेकिन उसकी संतोषजनक सेवाओं के आधार पर, अब उन्होंनें पद धारण करने का और संस्था में सेवा जारी रखने का अधिकार प्राप्त कर लिया है और इस स्तर पर, उसे एक स्टॉप–गैप व्यवस्था में एक नियुक्ति के रूप में मानना उचित नहीं

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

होगा और तदनुसार राज्य प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि प्रासंगिक नियमितीकरण नियमों के तहत नियमितीकरण के लिए विचार करे।

27. राज्य प्रत्यर्थी ने इस निर्णय के विरूद्ध किसी भी उच्च फोरम में अपील नहीं की है जिससे पक्षकरों के मध्य परस्पर इस निर्णय ने अपने अंतिम रूप को प्राप्त कर लिया हैपूर्वोक्त निर्णय जिसने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है , जिसे अपीलकर्ता के नियमितीकरण के अधिकार को मजबूती प्रदान कर दिया है। जब संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था, तो इसे फिर से रिट याचिका संख्या 8597/2010 दायर करके चुनौती दी गई थी। विद्वत एकल न्यायाधीश 15. 05. 2014 के आदेश के तहत उक्त रिट याचिका को यह कहते हुए अनुमति दी कि मुकदमेबाजी के पहले दौर में, उच्च न्यायालय ने अवधारित किया था कि वह पद धारण करने का हकदार थी और जब उक्त निर्णय अंतिम और निर्विवाद हो गया तब नियमितीकरण विनियम, 2001 लागू हो गये थे और उक्त नियमों को लागू करने से इनकार करना गैरकानूनी था।

28. यह स्वीकार्य है कि जब अपीलकर्ता द्वारा दायर पहले की दो रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा 23.01.2006 का निर्णय पारित किया गया था, तो **उमादेवी (3)** के तथ्य भी अस्तित्व में नहीं थे क्योंकि उक्त निर्णय बाद में 10.04.2006 को प्रदान किया गया था।

29. उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने **उमादेवी (3)** में इस न्यायालय के आदेश को गलत तरीके से समझा है संविधान पीठ ने कहीं भी यह निर्देश नहीं दिया है कि सेवा मामले जो परस्पर निर्णीत हो गए हैं, उन्हें फिर से खोला जाना चाहिए।इसके विपरीत, उक्त निर्णय के पैरा 54 में, संविधान पीठ ने निम्नानुसार स्पष्ट किया:

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वे निर्णय जो इस निर्णय में तय किए गए सिद्धांत के विपरीत हैं, या जिन दिशाओं में हम यहां आयोजित किए गए हैं, उनकी पूर्ववर्ती के रूप में उनकी स्थिति से इनकार किया जाएगा। "

30. उपरोक्त स्पष्टीकरण से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उमादेवी (3) के निर्णय में तय किए गए सिद्धांतों के विपरीत चल रहे पहले के निर्णयों को पूर्ववर्ती के रूप में नहीं माना जाएगा। इसका तात्पर्य यह नहीं हो सकता है कि उमादेवी (3) के निर्णय से पहले दिए गए एक सक्षम न्यायालय के निर्णय को अंतिम रूप दिया गया है और पार्टियों के बीच बाध्यकारी अंतर को लागू करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त सिद्धान्तों को विरूद्ध निर्णय देते हुए, जिसे पूर्व के निर्णयों में पारित किया था, पक्षकारों के मध्य अतिंम निर्णयों को समाप्त करना और इसे बेकार करना उच्च फोरम के आगामी निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा। सिद्धान्तों के विरूद्ध निर्णय देना और निर्णयों को उल्टा करने के मध्य एक अंतर है विचाराधीन निर्णय को स्वयं ही चुनौती दिया जाना चाहिए और कानून द्वारा ज्ञात या मान्यता प्राप्त तरीके से छुटकारा पाना होगा। इसके अतिरिक्त सिद्धांतों के विरूद्ध निर्णय को उत्तरवर्ती निर्णयों के द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है जिसे पक्षों पर निर्णय के बाध्यकारी प्रभाव को कम नहीं करेगा।

31. एक समरूप स्थिति में, सिविल अपील सं. 4443/2021 में इस न्यायालय ने सिविल अपील सं. 4444 और 4445/ 2021(**कुलपति आनंद कृषि विश्वविद्यालय बनाम कनुभाई नानुभाई वाघेला और अन्य**) को 26.07.2021 को निर्णीत किया, अपीलकर्ता द्वारा उक्त मामले में दिए गए तर्क को खारिज कर दिया कि इस न्यायालय का निर्णय **गुजरात कृषि विश्वविद्यालय बनाम राठौड़ लभू बेचर और अन्य**[4] में

4 (2001) 3 एससीसी 574

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

18.01.2001 दिनांकित निर्णय को इस न्यायालय के उमादेवी (3) के निर्णय के लागू होने के लागू नहीं होगा। यह पैराग्राफ 11 में निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

> 11. हमने श्री पीएस पटवालिया, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वकील और श्री नचिकेता जोशी, प्रत्यर्थीयों के लिए विद्वत अधिवक्ता को सुना है।विश्वविद्यालय का मुख्य तर्क यह है कि सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी और अन्य 2 में इस न्यायालय के निर्णय के बाद, प्रत्यर्थी नियमितीकरण के हकदार नहीं हैं क्योंकि कोई स्वीकृत पद उपलब्ध नहीं हैं।अपीलकर्ता की ओर से की गई एक और दलील यह है कि गुजरात कृषि विश्वविद्यालय उपरोक्त में 18.01.2001 के इस न्यायालय का निर्णय उमादेवी में इस न्यायालय के निर्णय के बाद जीवित नहीं है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि उमादेवी के मामले में, यह अवधारित किया गया है कि एक बार के उपाय के रूप में नियमितीकरण केवल उन लोगों के संबंध में हो सकता है जिन्हें अनियमित रूप से नियुक्त किया गया था और 10 साल या उससे अधिक समय तक विधिवत स्वीकृत पदों पर काम किया था। हालाँकि, तात्कालिक मामले में उत्तरदाता गुजरात कृषि विश्वविद्यालय उपरोक्त में इस न्यायालय के निर्णय से आच्छादित हैं।इस न्यायालय ने गुजरात राज्य की प्रस्तावित योजना को मंजूरी दे दी और उन सभी दैनिक ग्रामीणों को नियमित करने का निर्देश दिया जो योजना के अनुसार चरण–वार पात्र थे। योजना के अनुसार नियमित किए जाने का अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक कि सभी पात्र दैनिक–भत्ते वाले व्यक्तियों को समायोजित किया जायेगा।इस न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता और गुजरात राज्य को योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की अनुमति देकर समायोजन के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया था।हम विश्वविद्यालय की ओर से किए गए प्रस्तुतिकरण से प्रभावित नहीं हैं कि उमादेवी के मामले में इस न्यायालय के फैसले ने गुजरात कृषि विश्वविद्यालय उपरोक्त में निर्णय को रद्द कर दिया।गुजरात कृषि विश्वविद्यालय (उपरोक्त) आन्तरिक भाग में इस न्यायालय का निर्णय अंतिम हो गया है और विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी है।यहां तक कि उमादेवी के मामले के पैरा 54 के अनुसार, कोई भी निर्णय जो उमादेवी में प्रस्थापित सिद्धांतों के विपरीत है, वे पूर्ववर्ति को निर्णयों को दूषित कर देगा।उमा देवी के मामले में पैरा 54 में यह

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अवलोकन गुजरात कृषि विश्वविद्यालय (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं है। "

32. उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ इस प्रकार से कार्यवाही की जैसे वह विद्वत एकल न्यायाधीश के 23.01.2006 दिनांकित फैसले के विरूद्ध अपील पर सुनवाई कर रही थी जो पहले ही अपना अतिंम रूप प्राप्त कर चुका था। रिट याचिका संख्या 2597/ 2010 में दिये 15.05.2014 के दिनांकित निर्णय के विरूद्ध इस अपील को न्यायालय के नियमों के तहत दायर किया गया हैयह न्यायालय का एक सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक लेटर्स पेटेंन्ट अपील जो एक रिट याचिका के अनुक्रम में है को सम्पार्श्विक रूप से अपास्त करने के लिए अपील दायर नहीं किया जा सकता है,

33. **नरेश श्रीधर मिराजकर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य**[5] में बहुमत के निर्णय द्वारा इस संबंध में निम्नानुसार कानून निर्धारित किया गया हैः

जब कोई न्यायाधीश उसके समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लाये मामलों की सुनवाई करता है, तो वह पहले उन सवालों का फैसला करता है, वे तथ्य जिसमें पक्षकारों के मध्य विवाद है और फिर उक्त तथ्यों पर संबंधित कानून लागू होता है।क्या न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्ष सही हैं या गलत, और क्या उसके द्वारा दिये गये विधि का निष्कर्ष किसी दुर्बलता से ग्रस्त है, इस पर विचार किया जा सकता है और निर्णय लिया जा सकता है यदि न्यायाधीश के निर्णय से व्यथित पक्ष मामले को अपीलीय न्यायालय के समक्ष उठाता है। "

34. **रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य**[6] में, एक समान मुद्दे से निपटने के दौरान इस न्यायालय ने कहा कि इस न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार जो अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है, सामान्य रूप से स्वीकार्य नहीं है। इस न्यायालय द्वारा प्रदान

5 1967 ए.आई. आर. एससी 1

6 (1999) 2 एससीसी 103

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

किए गए विधि के प्रश्न पर निर्णय निर्णायक था और इस प्रकार के उत्तर वर्ती मामलों में न्यायालय के लिए बाध्यकारी था। न्यायालय अपने निर्णय के विरूद्ध अपील को नहीं सुन सकता है।

35. **भारत संघ और अन्य बनाम मेजर एसपी शर्मा और अन्य**[7]7 में, इस न्यायालय की तीन–न्यायाधीश पीठ ने निम्नानुसार अवधारित किया हैः

> एक सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को संपार्श्विक कार्यवाही में इस कारण से चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यदि ऐसा करने की अनुमति दी जाती है तो "भ्रम और अराजकता होगी और कार्यवाही की अंतिमता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।"

36. इस प्रकार, यह बहुत अच्छी तरह से सुस्थापित है कि पक्षकारों के लिए न्यायालय के द्वारा दिये गये अंतिम निष्कर्ष पर पुनः विचारण करने की अनुमति नहीं है क्योंकि यह न केवल न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के बराबर हो सकता है, बल्कि न्याय के प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

37. यह निर्विवाद है कि दिनांक 15.05.2014 के विद्वत एकल न्यायाधीश के निर्णय के अनुपालन में 31.10.2015 के आदेश के अनुसार उत्तरदाताओं ने एलपीए में कार्यवाही के परिणाम के अधीन अपीलकर्ता की सेवाओं को नियमित कर दिया और अपीलकर्ता अब लगभग 33 वर्षों की निरंतर सेवा के बाद सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लिया है।

38. अंत में, राज्य–प्रत्यर्थी के विद्वत अधिवक्ता द्वारा हमें इस आधार पर मामले में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए राजी करने का एक कमजोर प्रयास किया कि अपीलकर्ता की सेवा को दिनांक 19.05.1986 के पत्र के द्वारा समाप्त कर दिया था, जिसे कभी

7 (2014) 6 एससीसी 351

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

चुनौती नहीं दी गई थी क्योंकि उनकी सेवा को समाप्त कर दिया गया था।हम इस चरण में प्रतिवादी के लिए विद्वत अधिवक्ता द्वारा रद्द किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि यह राज्य के पास अवसर था कि दो रिट याचिकाओं में विद्वत एकल न्यायाधीश के आदेश एवं 23.01.2006 दिनांकित निर्णय के तहत इस विवाद को आगे बढ़ाया जाए। ।एक बार जब यह तर्क कार्यवाही में विद्वत एकल न्यायाधीश के सामने कभी नहीं प्रस्तुत किया गया, जिसे अंतिम रूप दिया जा चुका था, तो प्रतिवादी को इस अपील में इस तर्क को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

39. मामले के संपूर्ण तथ्यों का विश्लेषण करने और मामले पर विचार करने और कानूनी स्थिति का अवलोकन करने पर, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय कायम रखने के लिए उत्तरदायी नहीं है अतः अपास्त किया जाता है। तदनुसार, अपील को अनुमति है। अपीलकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ नियमित करने का हकदार माना जाता है जो आज से तीन महीने की अवधि के भीतर उसे बढ़ाया जा सकता है।

40. तथ्यों और परिस्थितियों में, हम, हालांकि, लागत के रूप में कोई आदेश नहीं देते हैं।

.....

(न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर)

.....

(न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी)

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

नई दिल्ली

17 अगस्त, 2021

18

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।